राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

एफ.6 (29) परीक्षा 'क'/राज्य – अधी/2012–13/2237 दिनांक :07.10.2016

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या–8930/2016 सुरज्ञान सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 की अनुपालना में एवं आयोग द्वारा दिनांक 15.06.2016 को घोषित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा, 2013 के परिणाम के क्रम में सामान्य वर्ग के कट–ऑफ मार्क्स के समकक्ष आरक्षित वर्ग के 507 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। इन 507 अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी निम्नाकिंत निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :–

1. अभ्यर्थी विस्तृत ऑफलाईन आवेदन प्रपत्र भरने हेतु वेबपोर्टल पर जारी दिशा–निर्देश आवश्यक रूप से अवलोकन कर लें।
2. उपरोक्त उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी आयोग के वेबपोर्टल **rpsc.rajasthan.gov.in** से **"Detailed Application Form"** विस्तृत आवेदन पत्र एवं प्राथमिकता प्रपत्र डाउन लोड कर सभी पूर्ति कर आयोग कार्यालय में दो प्रतियों में मयं सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित संलग्न कर दिनांक 17.10.2016 तक आवश्यक रूप से जमा करावें।
3. अभ्यर्थी विस्तृत ऑफलाइन आवेदन पत्र भरते समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्राथमिकता कम प्रपत्र में दर्शायी गयी सेवाओं में स्वंय की प्राथमिकताओं का उल्लेख करें । विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न भरी गयी उक्त प्राथमिकता कम अंतिंम होगी इसी प्राथमिकता कम के आधार पर शासन द्वारा नियुक्ति प्रदान की जावेंगी । पदों का विवरण आयोग की वेबसाईट पर जारी किया हुआ है।
4. राजस्थान सरकार के कर्मचारी/केन्द्रीय सेवा के कर्मचारी/सार्वजनिक उपक्रम/अन्य सेवारत अभ्यर्थी सेवा संबंधित सूचना का इन्द्राज विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित अतिरिक्त विस्तृत सूचना जिसमें पद का नाम, नियुक्ति अधिकारी का नाम एवं विभाग एवं पद ग्रहण करने एवं छोड़ने, सेवा प्रकार इत्यादि सूचना आवश्यक रूप से भरें एवं सेवा प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज के रूप में आवेदन प्रपत्र के साथ भेजें।
5. साक्षात्कार के समय एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। महिला अभ्यर्थी पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ओबीसी के प्रमाण पत्र जुलाई 2015 के पश्चात् के मान्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों के जुलाई 2013 से जुलाई 2015 तक जारी ओबीसी प्रमाण पत्र हैं, वे अभ्यर्थी नॉन क्रिमीलेयर होने का शपथ पत्र, प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें । इससे पूर्व के ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य होंगे ।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव